राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः—रालसा / स्टोर / एफ 9 / 2024—25 / 17024 दिनांकः— 23/9/24

कोटेशन के लिए अनुरोध -09/2024

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आगामी एक वर्ष हेतु कार्यालय में संस्थापित 05 (पांच) केनन फोटोस्टेट मशीनों के वार्षिक रख—रखाव मय पार्ट्स बाबत् दरें प्रति कॉपी की दर से आमत्रंण हेतु कोटेशन के लिए अनुरोध जारी की जाती है। कोटेशन दिनांक 30.09.2024 को दोपहर 03.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं क़िया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को सांय 04:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति के समक्ष एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस कार्य पर लगभग 50 हजार रुपये एक वर्ष में व्यय होना सम्भावित है।

कोटेशन के लिए अनुरोध की शर्तेः—

1. फोटो स्टेट मशीनों के रखरखाव के अन्तर्गत पार्ट्स एवं इंक सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सेवा प्रदाता फर्मो द्वारा कोटेशन प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
3. सभी मशीनों का रख—रखाव व सर्विस फर्म के प्रशिक्षित सर्विस इंजिनियरों द्वारा ही किया जावेगा।
4. सभी मशीनों की सर्विस व मरम्मत कार्य शिकायत अनुसार कार्यालय में तुरंत उपस्थित होकर दुरूस्त करना होगा।
5. मशीन के खराब होने पर फर्म द्वारा समय पर दुरूस्त नहीं करने पर कार्यालय द्वारा बाजार / अन्य फर्म से दुरूस्त करवाने पर होने वाले व्यय की राशि का भुगतान अनुमोदित फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में से वसूल / काट ली जावेगी।
6. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
7. कार्यालय में स्थापित फोटोस्टेट मशीनों की मरम्मत / सर्विस के दौरान क्षति होती है, तो इसके लिए स्वयं कोटेशनदाता उत्तरदायी होगा।
8. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान देय होगा।
9. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नही होगी।
10. मशीनों में ओरिजनल पार्टस लगाने होंगे एवं अनुबंध के अनुसार ही बदले जाएँगे एवं बदले गये पार्ट्स विभाग के स्टोर अनुभाग में जमा करवाने होंगे जिसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।
11. कोटेशन के साथ अधिकृत व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. फर्म द्वारा अनुबन्ध समाप्ति पर सभी मशीनों को चालू हालत में कार्यालय को संभलवाना होगा।
13. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।

(हस्ताक्षर)
निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

क्रमांकः—रालसा / स्टोर / एफ 9 / 2024—25 / 17025—17027 दिनांकः— 23/9/24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा / नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी / प्रोग्रामर, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित / रक्षित पत्रावली।

Rashmi
उप सचिव—प्रथम
(स्टोर प्रभारी)
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

E:\Store_New\Photostate Machine\AMC 2024-25\NoteSheet.docx